न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—108/2020/225 (2020/00108)

1. उमराव पुत्र राधाकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम तिहारी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र विजयकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम तिहारी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

वादी/रेस्पोडेंट

2. विजयकरण पुत्र स्व0 नारायण, जाति जाट,
3. फूला पुत्र कालू, जाति जाट, निवासी ग्राम तिहारी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 5.3.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 10/2020.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री शशिकांत जोशी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 13.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 5.3.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तिहारी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 1071/992 के हाल खसरा नंबर 4051 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 4052 रकबा 001 है0, खसरा नंबर 4053 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 4055 रकबा 2.28 है0, खसरा नंबर 4055/6620 रकबा 0.64 है0, खसरा नंबर 4056 रकबा 1.00 है0, खसरा नंबर 4056/6619 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 4057 रकबा 1.00 है0 खसरा नंबर 4058 रकबा 2.20 है0, खसरा नंबर 4058/6618 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 4059 रकबा 2.70 है0, खसरा नंबर 4060/6616 रकबा 0.15 है0, खसरा नबर 4082 रकबा 1.02 है0, खसरा नंबर 6231 रकबा 0.64 है0, खसरा नंबर 6235 रकबा 0.13 है0 कुल रकबा 16.72 है0 भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थी

संख्या 1 के पिता नारायण पुत्र दूदा के नाम दर्ज थी । पुश्तैनी भूमि को हस्तातंरण करने का प्रार्थी के पिता को कोई अधिकार नहीं है । पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि को हड़पने की धमकी देते हुए बेदखल करने पर आमादा है जिनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर आदेश दिनांक 5.3.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थीगण को इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि आगामी तारीख पेशी तक आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत रखे । किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे । कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअंदाज किया कि वर्तमान अपीलांट वर्षो से उक्त आराजी खातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रकरण मं दिनांक 5.3.2020 को एकतरफा आदेश रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का पारित करते समय तामील बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अधी0न्याया0 द्वारा आदेश पारित किया गया जिस पर अपीलांट को सुना नहीं गया जबकि उक्त प्रकरण वादी रामस्वरूप के पिता विजयकरण द्वारा अन्य वाद प्रकरण के साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 39/19 उनवान विजयकरण बनाम अनोपी वगैरह में दिनांक 4.6.2019 को रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है तथा दिनांक 4.1.2020 को मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है, इस आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें उक्त आदेश को स्थगित किया गया जिसके विरूद्ध विजयकरण द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई जो दिनांक 28.2.2020को खारिज हो चुकी है । प्रार्थी/रेस्पो0 अधी0न्याया0 के अंतरिम आदेश की आड़ में अपीलांट को उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 5.3.2020 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश की समयावधि में जानकारी नहीं हो सकी थी । दिनांक 30.6.2020 को मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को जानकारी दिये जाने पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है न कि अंतिम आदेश । अधी0न्याया0 का आदेश अंतरिम आदेश होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है । अपीलांट ने जो ऐतराज अपील के माध्यम

से उठाये है वे अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाब के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते थे । यदि वाद एवं प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते विवादित आराजी का बेचान आदि होता है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 को होने की संभावना को ध्यान में रखकर अधी0न्याया0 ने अपीलांट को प्रार्थना पत्र के जवाब तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अधीनस्थ के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 5.3.2020 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 5.3.2020 द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट को इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया है कि ''आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे । किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे । कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करे ।'' पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश न कि अंतिम आदेश । वर्तमान में प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें बाद साक्ष्य सुनवाई प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा । चूंकि अपीलांट/अप्रार्थी हाजा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके है तथा अपीलांट ने जो ऐतराज अपील के माध्यम से उठाये है वे उक्त ऐतराज अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से पेश कर सकते है । अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है किन्तु हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए हम अपील को अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का उभयपक्ष पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करे ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का एक माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करे । निर्णय की प्रति अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को पृथक से प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 13.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर